

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबडा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर,
जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 715/09

संस्थित दिनांक -30/11/09

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना परसवाड़ा
 जिला बालाघाट म0प्र0

..... अभियोगी

// विरुद्ध //

श्यामकुमार उर्फ बल्लू पिता स्व. रामसिंह
 मंडावी जाति गोंड उम्र 28 वर्ष साकिन
 ग्राम खर्रा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट म0प्र0

..... आरोपी

::निर्णय::{ दिनांक 30/03/2017 को घोषित }

1. अभियुक्त श्यामकुमार उर्फ बल्लू के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा 324, 506 भाग-दो, के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 05.11.09 को रात्रि 08:00 बजे ग्राम खर्रा अंतर्गत आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में परिवादी देवकीबाई को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की और संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी देवकीबाई ने थाना परसवाड़ा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी है कि दिनांक 05.11.2009 की रात्रि 08:00 बजे अपने घर के आंगन में बैठने के दौरान उसने अपने लड़के श्यामकुमार को 400/- (चार सौ रुपये) में कपड़े खरीदने की बात बतायी जिस पर श्यामकुमार ने विवाद किया और कुल्हाड़ी से उसके बायें पैर के घुटने में मार दिया जिससे खून निकलने लगा और श्यामकुमार बोलने लगा कि आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा। घटना की जानकारी गांव के सरपंच धरमसिंह तथा श्रीराम चौरे को दी गयी। रात्रि होने के कारण घटना के दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। दौरान विवेचना परिवादी का मुलाहिजा कर घटनास्थल का मौकानक्शा बनाया गया। गवाहों के कथन लेख कर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं सम्पूर्ण विवेचना

उपरांत प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने निर्णय के चरण 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में यह प्रतिरक्षा ली है कि पारिवारिक विवाद के दौरान उसकी मां को चोटें आयीं, वह निर्दोष है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की है।

4. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 05.11.09 को रात्रि 08:00 बजे ग्राम खर्रा अंतर्गत आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में परिवादी देवकीबाई को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- (2) क्या आरोपी ने उक्त घटना समय व स्थान पर परिवादी को संत्रास करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, तथा 2

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5. श्रीराम (अ.सा.2) का कथन है कि वह आरोपी श्यामकुमार उर्फ बल्लू तथा फरियादिया को जानता है जो उसके गांव के हैं। घटना उसकी साक्ष्य देने से लगभग पांच-छः साल पूर्व गर्मी के समय की है। फरियादी देवकीबाई उसके घर आयी थी जिसने बताया कि आरोपी श्यामकुमार उर्फ बल्लू ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बारे में गांव में दो-चार लोगों को बताया था। वह फरियादी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 05.11.09 की रात्रि 09:00 बजे गांव की देवकीबाई ने उसके पास आकर बताया था कि उसके लड़के ने कपड़े खरीदने की बात पर से कुल्हाड़ी से मारपीट की थी जिससे उसके घुटने से खून निकल रहा था और उसके लड़के ने जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.02 ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसा बयान देना स्वीकार किया और कहा कि घटना के संबंध में उसने पुलिस को बताया था। घटना का अन्य साक्षी धरमसिंह (अ.सा.1) पक्षद्रोही रहा है जिसने घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर प्र.पी.01 के ए से ए भाग के बयान पुलिस को देने से इंकार किया है।

6. डा. अवधेश गौर (अ.सा.3) का कथन है कि दिनांक 06.11.09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में दोपहर के 12:28 बजे थाना परसवाड़ा के आरक्षक क्रमांक 528 द्वारा देवकीबाई पति रामसिंह को परीक्षण हेतु लाने पर उसने बायें घुटने के भीतरी भाग पर फटा हुआ घाव तथा बायें हाथ के पंजे पर सूजन पायी थी। घुटने की चोट धारदार वस्तु से तथा पंजे की चोट कड़ी व बोथरी वस्तु से आना प्रतीत हो रही थीं जो उसके परीक्षण के 18 घण्टे के भीतर की थी। दोनों चोटों के एक्सरे हेतु जिला चिकित्सालय बालाघाट रिफर किया गया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है।

7. कप्तानसिंह उइके (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 06.11.09 को थाना परसवाड़ा में पदस्थापना के दौरान अपराध क्रमांक 66/09 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर फरियादी देवकीबाई की निशांदेही पर मौके पर जाकर मौकानक्शा प्र.पी.04 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही आहत देवकीबाई साक्षी श्रीराम तथा धरमसिंह के बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 19.11.09 को आरोपी श्यामकुमार से एक कुल्हाड़ी बेसा सहित गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी श्यामकुमार उर्फ बब्लू को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था। उक्त दस्तावेजों के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 06.11.09 को देवकीबाई की मौखिक रिपोर्ट पर सहायक उपनिरीक्षक एम.एल.बंशकार द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 66/09 धारा 324, 506 भाग-2 भा.दं०सं० लेख की थी जिसके ए से ए भाग पर सहायक उपनिरीक्षक एम.एल.बंशकार के हस्ताक्षर हैं। जिन्हें साथ कार्य करने के कारण वह पहचानता है तथा बी से बी भाग पर देवकीबाई की अंगूठा निशानी लिये गये थे।

8. चिकित्सक साक्षी डा. अवधेश गौर (अ.सा.3) की साक्ष्य से घटना के समय फरियादी देवकीबाई के बायें घुटने के भीतरी भाग पर धारदार वस्तु से चोट आना दर्शित है, जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 से होती है। परंतु प्रकरण में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आहत देवकीबाई के कथन फौत होने के कारण नहीं कराये गये हैं। आहत द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 में जिन दो व्यक्तियों को घटना के संबंध में बताने का कथन किया है उनमें से एक सरपंच धरमसिंह (अ.सा.1) पूर्णतः पक्षद्रोही रहा है जिसने घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी होने से इंकार कर पुलिस को प्र.पी.01 के कथन न देना व्यक्त किया। जबकि अन्य व्यक्ति श्रीराम (अ.सा.2) ने मुख्य परीक्षण में अभियोजन कहानी का समर्थन कर पुलिस को प्र.पी.02 के

कथन देना व्यक्त किया। जबकि प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने झगड़े की बात बतायी थी, कुल्हाड़ी से मारने वाली नहीं। फरियादी और आरोपी मां-बेटे हैं तथा साथ में निवास करते हैं। फरियादिया को कैसे चोट लगी झगड़ा कैसे हुआ उसने नहीं देखा। उसे घटना की तारीख व दिन नहीं मालुम है। उसने अपने पुलिस कथन को पढ़कर नहीं देखा था और न ही पुलिसवालों ने उसे पढ़कर सुनाया था।

9. श्रीराम (अ.सा.2) के मुख्य परीक्षण तथा प्रतिपरीक्षण में विपरीत कथनों से उसकी साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट है कि वस्तुतः घटना को किसी ने नहीं देखा। प्रकरण में परिवादी के कथन नहीं कराये गये हैं। परिवादी तथा आरोपी मां-बेटे होना स्वीकृत है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त द्वारा अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत किये गये कथन अधिक विश्वसनीय प्रतीत होते हैं। जिसमें उसने यह बचाव लिया है कि भाईयों के झगड़े में बीच में आने के दौरान धक्का लगने से मां को चोटें आयीं क्योंकि मात्र चिकित्सीय तथा विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

10. अतः अभियुक्त श्यामकुमार उर्फ बब्लू पिता स्व. रामसिंह को भा. दं0सं0 की धारा धारा 324 एवं 506 भाग-दो, के तहत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

13. आरोपी विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रहा है, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)